

उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर

// आदेश //

क्रमांक C/485 /

जबलपुर, दिनांक 11/02/2021

IV-12-14.80 VII-Q

वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ-11-12/2010/नियम/चार भोपाल दिनांक 1 सितम्बर, 2012 के अनुस्मर श्री राम चरण कुशवाहा, फरार्श, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर को दिनांक 05/12/2020 से गृह भाड़ा भत्ता स्वीकृत किया जाता है।

सही / -

(प्रियदर्शन शर्मा)

रजिस्ट्रार (प्रशा.)

पृष्ठांकन क्रमांक C/436

जबलपुर, दिनांक 11/02/2021

IV-12-14.80 VII-Q

प्रतिलिपि :-

1. सीनियर प्रिंसिपल सिस्टम एनालिस्ट (एस.ए.), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर को और आदेश उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश की वेबसाइट पर अपलोड हेतु
2. अति रजिस्ट्रार (रिम) उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश जबलपुर,
3. ए.ओ. (ज) लेखा/पेशान, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश जबलपुर,
4. सहायक वेतन पत्रकार, सेवापुरस्तिका/अवकाश/प्रोटोकॉल, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर,
5. दो अतिरिक्त प्रति सहित आफिस टायपिस्ट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
6. श्री राम चरण कुशवाहा, फरार्श, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर, की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अगेषित।

(किशोर पिठवे)

रजिस्ट्रार कम-पी.पी.एस.